न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.
निगरानी संख्या 08 / 14 तारीख दायरा 01.12.2014
रणजीत कौर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि0 केसरीसिंहपुर
बनाम
1. राजेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह वार्ड नम्बर 05 24 एफ त0 करणपुर
2. ग्राम पंचायत गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः—
1. श्री प्रेम प्रकाश मक्कड, एडवोकेट, प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री काशी राम रिणवा एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
2. श्री बल राम स्वामी एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16/11/17

प्रस्तुत निगरानी के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया द्वारा निगरानी इस आश्य की पेश की गई कि पूर्व में एक निगरानी संख्या 1/2010 पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 14.10.2010 को पारित किया गया लेकिन ग्राम पंचायत गुलाबेवाला द्वारा निर्णय में निर्देशों की पालना किये बिना आहाता संख्या 11 साईज 65 गुणा 65 फुट अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह को अलाट कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के आदेशों को अनदेखा किया व पंचायत में बने नियमों की पालना किये बिना पटटा जारी कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। भूखण्ड प्रार्थीया की माता का है और प्रार्थीया उसकी उतराधिकारी है। इसलिये इस प्लाट का पट्टा प्रार्थीया के नाम से जारी होना चाहिये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा खारिज फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री काशी राम रिणवा एडवोकेट तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री बल राम स्वामी एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता प्रार्थीया का अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया उनका कथन है कि प्रार्थीया द्वारा निगरानी इस आश्य की पेश की गई कि पूर्व में एक निगरानी संख्या 1/2010 पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 14.10.2010 को पारित किया गया लेकिन ग्राम पंचायत गुलाबेवाला द्वारा निर्णय में निर्देशों की पालना किये बिना आहाता संख्या 11 साईज 65 गुणा 65 फुट अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह को अलाट कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के आदेशों को अनदेखा किया व पंचायत में बने नियमों की पालना किये बिना पटटा जारी कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। भूखण्ड प्रार्थीया की माता का है और प्रार्थीया उसकी उतराधिकारी है। इसलिये इस प्लाट का पट्टा प्रार्थीया के नाम से जारी होना चाहिये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा खारिज फरमाया जावे।

लायक वकील अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.10.2010 की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में प्रस्ताव लिया

जाकर,सार्वजनिक नोटिस जारी कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत का आदेश विधि सम्मत है अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

लायक वकील अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत गुलाबेवाला द्वारा दौराने बहस उठाये गये तर्को का कोई खण्डन नहीं किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.10 द्वारा आहाता संख्या 11 साईज 65 इन्टू 65 का पटटा दिनांक 02.02.1997 खारिज किया गया था व मामला ग्राम पंचायत को रिमान्ड किया जाकर निर्देशित किया गया था कि मौका निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया जाकर निर्णय में निर्देशित बिन्दुओं की जांच की जावे कि विवादित भूखण्ड परकिसी काकब्जा रहाहै या नहीं, था तो कब से, क्या भूखण्ड निर्मित था अथवा खाली आहाता था, क्या विधिनुसार कब्जा उक्त नियमों के तहत नियमन योग्य था, यदि नियमन योग्य था तो नियमानुसार नियमन की प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमन संबंधी कार्यवाही की जावे व नियमन की परिधिमें नहीं आतातो तदनुसार कार्यवाही की जावे समस्त जांच तथा सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है व निगरानीधीन पट्टा संख्या 24 दिनांक 5.11.11 खारिज किया जाता है व मामला सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला को रिमान्ड किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.10.10 में दिये गये निर्णय की पालना का निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर